भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
ICMR INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH Serving the nation since 1911
Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

सं.16/48/2022-Admn/E.Office-139791 **दिनांक: 18/09/2026**

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी निदेशक
परिषद के सभी संस्थान/केन्द्र

विषय: ICMR मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ संस्थानों/केन्द्रों में CCS (Pension) Rules, 2021 के अंतर्गत नवीनतम/संशोधित Pension Forms को अपनाए जाने के संबंध में।

वर्तमान में ICMR मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ संस्थानों/केन्द्रों में पेंशन संबंधी कार्यों हेतु पूर्ववर्ती CCS (Pension) Rules, 1972 पर आधारित Pension Forms का उपयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा CCS (Pension) Rules, 2021 अधिसूचित किए जा चुके हैं तथा इनके अंतर्गत विभिन्न पेंशन संबंधी प्रयोजनों हेतु नवीनतम/संशोधित फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। अतः, पेंशन संबंधी मामलों में CCS (Pension) Rules, 2021 के प्रावधानों तथा Gazette Notification, December 2021 में निर्धारित संबंधित Forms को अपनाया जाना है।

तदनुसार, ICMR मुख्यालय तथा इसके अधीनस्थ सभी संस्थानों/केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि सभी पेंशन संबंधी प्रयोजनों, जैसे Superannuation Pension, Family Pension, Death Case Benefits के लिए निर्धारित नवीनतम/संशोधित पेंशन फॉर्म का ही उपयोग किया जाए तथा कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी निर्धारित Forms में ही प्राप्त की जाए।

सभी संबंधित अनुभाग/संस्थान/केन्द्र उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by Jaibir Singh
Date: 21-09-2026 11:00:46

(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

संलग्नक:

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 20.12.2021 की अधिसूचना।

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. स्थापना अनुभाग
5. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।